राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./चारा./2009-10/6416-456 जयपुर,दिनांक 13/11/2009

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर।

विषय :— अभाव संवत 2066 में अभावग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त एवं गैर—अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने बाबत।

महोदय,

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 07.11.2009 में लिए गये निर्णयानुसार अभाव संवत् 2066 में आपके जिले से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नानुसार जिलों के सम्मुख अंकित पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित बड़े एवं छोटें पशुओं की संख्या हेतु दिनांक 15.11.2009 से अनुदान स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम जिला	पंजीकृत गौशालाओं की संख्या	बड़े पशु	छोटे पशु	योग पशु
1.	अजमेर	29	2073	6230	8303
2.	अलवर	12	2920	227	3147
3.	बांसवाड़ा	3	383	88	471
4.	बाड़मेर	28	8423	2391	10814
5.	भीलवाड़ा	18	3286	1410	4696
6.	बीकानेर	50	18855	5369	24224
7.	बून्दी	7	776	352	1128
8.	चित्तौड़गढ़	11	1914	550	2464
9.	चूरू	38	9523	2633	12156
10	दौसा	3	323	224	547
11.	डूंगरपुर	5	48	13	61
12.	गंगानगर	43	12974	5025	17999
13.	हनुमानगढ़	77	10199	17065	27264
14.	जयपुर	57	7775	2749	10524
15.	जैसलमेर	35	25817	3083	28900
16	जालौर	55	26766	7501	34267
17.	झुन्झुनूं	35	4420	3098	7518
18.	जोधपुर	112	26592	8685	35277
19.	नागौर	295	44526	11830	56356
20.	पाली	128	36090	14008	50098
21.	राजसमन्द	7	1968	1025	2993
22.	सवाईमाधोपुर	8	570	260	830
23.	सीकर	115	10419	8115	18534
24.	सिरोही	14	6654	4463	11117
25.	टोंक	10	2043	451	2494

26.	उदयपुर	7	882	232	1114
	योग:	1202	266219	107077	373296

उपरोक्त गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में आपको प्रेषित सहायता निर्देशिका में अंकित है। सहायता निर्देशिका में दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:–

1. गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं को बड़े पशु हेतु 20/– रूपये तथा छोटे पशु हेतु 10/– रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।
2. निर्धारित दर से अनुदान स्वीकृत उसी स्थिति में किया जावे जबकि गौशाला संचालकों द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बड़े पशु हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि क्रमशः 6/– रूपये बड़े पशु तथा 3.00 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।
3. पशु आहार आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा निर्मित ही क्रय कर पशुओं को उपलब्ध कराये जाने पर अनुदान देय होगा।
4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

निरीक्षण मापदण्ड

अनुदानित समस्त अनुमत गौशालाओं का समय समय पर जिला कलेक्टर, विकास अधिकारी, सम्बन्धित विभाग के अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया जावें। निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से सुनिश्चित किये जावें:–

1. तहसीलदार, विकास अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्रों में संचालित केन्द्रों में से कम से कम 25 प्रतिशत केन्द्रों का माह में एक बार निरीक्षण किया जावें।
2. उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपखण्ड में संचालित केन्द्रो में से कम से कम 10 प्रतिशत केन्द्रो कर माह में एक बार निरीक्षण किया जावें।
3. अतिरिक्त कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा सम्मिलित रूप से जिले में संचालित 5 प्रतिशत केन्द्रो का माह में एक बार निरीक्षण किया जावे।
4. जिला कलेक्टर द्वारा केन्द्रो के निरीक्षण हेतु कोई प्रतिशत तय नहीं किया गया है किन्तु राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि वे भी अधिक से अधिक केन्द्रो का निरीक्षण करें।

अनुदान/भुगतान की प्रकिया

1. ऐसी पंजीकृत गौशालाओं की संचालन समिति में जिला कलेक्टर द्वारा सदस्य के रूप में एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे तथा यह निर्देशित किया जावे कि गौशाला संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना ऐसे प्रतिनिधि को समय पर दी जावे एवं वित्तीय प्रकृति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय उसी बैठक में लिये जावे, जिसमें जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो।
2. गौशाला के लेखे जोखें सही एवं भली प्रकार से संधारित कराये जावें। गौशालाओं में निम्न लिखित रजिस्टरों का संधारण कराया जावे:–

क. खरीद एवं स्टाक रजिस्टर

ख. पशुओं का रजिस्टर

ग. दैनिक वितरण रजिस्टर

घ. दैनिक खर्च का हिसाब

3. जिला कलेक्टर, जिला पशु पालन अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर गौशालाओं का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गौशालाओं के पशुओं का सही प्रकार से पोषण किया जा रहा है।
4. गौशाला द्वारा सरंक्षित किये जा रहे पशुओं की संख्या का प्रमाणीकरण सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा किये जाने के उपरान्त ही, गौशाला द्वारा प्रस्तुत मासिक बिलों के आधार पर अनुदान दिया जावे।

पशु संख्या में बढोतरी

विगत वर्षो में यह देखा गया है कि जिला कलेक्टर द्वारा सूचित संख्या के आधार पर गौशाला अनुदान की स्वीकृति जारी की गई। उक्त संख्या बिना सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के आधार पर बताई गई। गौशाालाओं के पशुओं में वृद्वि होने की दशा में कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से निरीक्षण व भौतिक सत्यापन के पश्चात ही आगामी माह की 20 तारीख से पूर्व तक बढ़े हुए पशुओं के लिए अनुदान हेतु प्रस्ताव आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि बढी हुई संख्या के आधार पर स्वीकृति आदेश समय पर जारी किये जा सके।

भवदीय,

13/11/09

शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ठ सहायक, जिला प्रभारी मंत्री, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिवगण, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव